

**FORM-1**  
(for linear project)  
Government of Chhattisgarh  
Office of the District Collector Raigarh  
\*\*\*\*

No 405.....Date 20/03/2019

**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **97.667** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Chhattisgarh East railway Limited** in Raigarh district falls within jurisdiction of **Maharajgang jogda Hati Sithra khadgaon baysicolony** village (s) in **Dharamjaigarh** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **51.494** hectares of Revenue Forest land **46.173** hectares of forest land in total **97.667** hectares forest land proposed for diversion . a copy of records of all consultations and meeting of the forest Right committee (s). Gram Sabha (s). sub Division Level committee (s). and the District Level Committee are enclosed.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(yashwant kumar)  
District Collector  
Raigarh  
**COLLECTOR**  
**RAIGARH (C.G.)**



**कार्यालय कलेक्टर (भू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ0ग0)**

**प्रदर्श स**

**प्रमाण - पत्र**

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड कोरबा को उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. लाईन निर्माण हेतु रायगढ़ जिला वन मंडल के अंतर्गत - महाराजगंज, जोगडा, हाटी, सिथरा, खडगांव, कोयलार, बायसी कालोनी तहसील धरमजयगढ़ गांव के कुल वन भूमि 46.173 हे० एवं राजस्व वन भूमि कुल रकबा 51.494 हे० भूमि के प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1- प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है। तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 46.173 हे० एवं राजस्व वन भूमि कुल रकबा 51.494 हे० में जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम महाराजगंज, जोगडा, हाटी, सिथरा, खडगांव, कोयलार, बायसी कालोनी तहसील धरमजयगढ़ में स्थित है में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क्रमांक/11-9/98- एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05/02/2013 के द्वारा जहां विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) एवं कृषि पूर्ण समुदायों के मान्यता अधिकार शामिल न हो वहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाईबर, बिछाव एवं संचरण लाईन जैसी परियोजना का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) के लिये ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छूट दी गई है।

2- यह प्रमाणित किया जाता है कि सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्ताव अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.सी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है। जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 03(1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

**अथवा**

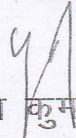
**प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-**

| क्रमांक | ग्राम का नाम | वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे.मे.) | रिमार्क |
|---------|--------------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1       | महाराजगंज    | निरंक                              | निरंक         |         |
| 2       | जोगडा        | निरंक                              | निरंक         |         |
| 3       | हाटी         | निरंक                              | निरंक         |         |
| 4       | सिथरा        | निरंक                              | निरंक         |         |
| 5       | कोयलार       | निरंक                              | निरंक         |         |
| 6       | बायसी कालोनी | निरंक                              | निरंक         |         |
| 7       | खडगांव       | रासमोहन पिता नंदसिंह कंवर 667/1क   | 0.200         |         |
|         |              | जयपाल पिता नंदसिंह कंवर 667/1 क    | 1.014         |         |
|         |              | प्रेमसिंह पिता मसतराम कंवर 545/1   | 0.182         |         |
|         |              | रामेश्वर पिता मसतराम कंवर 543/1    | 0.200         |         |
|         |              | लोकनाथ पिता खनकराम कंवर 667/1क     | 0.405         |         |
|         | योग          | 05                                 | 2.001         |         |

3- यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 03(1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4- संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 03 (1) (e) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(यशवंत कुमार)  
कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष – जिला वन अधिकार समिति  
जिला रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर (भू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक 404 / भू.अ.लि. / 2019

रायगढ़ दिनांक 20/08/2019

प्रति,

अपर प्रधान

मुख्य वन संरक्षक

(भू- प्रबंध/व.स.अ.)

अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड

रायपुर (छ.ग.)

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ईस्ट वेस्ट रेलवे कारीडोर परियोजना के अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेलवे मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ :- मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी सीएसआईडीसी काम्पलेक्स महादेवघाट रोड रायपुर छ. ग. का आवेदन पत्र क्रमांक सीईआरएल/सीईडब्लूआरएल/7-18/74 दिनांक 5.3.18।

.....00.....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी सीएसआईडीसी काम्पलेक्स महादेवघाट रोड रायपुर छ ग. का आवेदन पत्र क्रमांक सीईआरएल/सीईडब्लूआरएल/7-18/74 दिनांक 5.3.18 द्वारा छ.ग. ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि. मी. रेल लाइन निर्माण कार्य अंतर्गत अनुभाग धरमजयगढ़ के ग्राम महाराजगंज ख.नं. 713/1क प्रभावित रकबा 0.018 ग्राम जोगडा ख.नं. 526,607,621/1,713,747/1,813/1क,764/6, 929/1क,933/1 प्रभावित रकबा कमशः 0.019, 0.022, 0.266, 0.198, 0.155, 0.886, 0.073, 13.166, 2.532 ग्राम हाटी खसरा नंबर 957/1, 1297/1, 1310/1क प्रभावित रकबा 0.672, 1.250,0.063 ग्राम सिथरा 1369/1क, 618/1, 25/1, 28/2क, 25/5क,719/1, 965/3क, 501/1क, 63/1क प्रभावित रकबा 1.611, 1.544, 0.374, 0.333, 0.102, 0.247, 3.782, 0.400, 1.317 ग्राम खडगांव 677/1क, 543/1ख, 89/1क, 71/1क, 85/1क, 66/1, 85/1ख, 65/1 प्रभावित रकबा कमशः 2.303, 0.029, 0.015, 1.906, 0.024, 0.031, 0.025, 0.333 ग्राम कोयलार खसरा नंबर 376/1ख, 376/1क, 385/1 प्रभावित रकबा कमशः 6.850, 8.300, 2.000 ग्राम बायसी खसरा नंबर 1379/1क प्रभावित रकबा 0.646 ग्राम जोगडा खसरा नंबर 1379/1क प्रभावित रकबा 0.648 ग्राम जोगडा 1179 प्रभावित रकबा 1.500 ग्राम हाटी खसरा नंबर पी. 552, पी 551, पी. 554, 562 प्रभावित रकबा कमशः 1.677, 6.973, 10.793, 3.596 ग्राम सिथरा खसरा नं. पी. 591 प्रभावित रकबा 7.044 ग्राम खडगांव खसरा नंबर पी. 592, पी. 476 प्रभावित रकबा 10.534, 4.056 कुल प्रभावित रकबा 97.667 हे. गैर खाते की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रारूप प्रदर्श स एवं लीनियर प्रकरण हेतु फार्म -1 में जानकारी चाही गई। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ द्वारा अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी रा. धरमजयगढ से प्राप्त जानकारी के आधार पर ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत उरगा से धरमजयगढ तक लगभग 62 कि.मी. रेल मार्ग निर्माण कार्य के लिये प्रस्तावित क्षेत्रा 97.667 हे. के संबंध मे प्रदर्श स तथा लीनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म -1 मे जानकारी तैयार कर सादर प्रम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

रायगढ (छ.ग.)

क्रमांक 404/भू.अ.लि./2019

रायगढ दिनांक 20/03/2019

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धरमजयगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्य परिचालन अधिकारी सीएसआइडीसी काम्प्लेक्स महादेव घाट रोड छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर

रायगढ (छ.ग.)